# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 4066/2025**

बाल किशन शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 27.08.2025
**आदेश की दिनांक** : 01.09.2025

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अभिभाषक

**समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा अध्यापक ग्रेड–III के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गये। जिसमें अपीलार्थी ने नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलार्थी का चयन तो हुआ, परन्तु उसकी योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को योग्य न मानकर उसकी नियुक्ति नही की गई। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल कंटेप्ट पिटिशन संख्या 38/1999 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 13.11.2000 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के आदेश फरमाये गये। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.12.2000 (अनुलग्नक–3) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा आदेश दिनांक 16.01.2001 (अनुलग्नक–5) को अध्यापक ग्रेड–III के पद पर कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.05.2004 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को स्थायी दिनांक 16.01.2003 से किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.10.2017 (अनुलग्नक–7) के द्वारा वर्ष 2017–2018 की रिक्ति के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी का आयोजित की गई। जिसमें वर्ष 2005 को नियुक्त कार्मिकों को वरिष्टता में अपीलार्थी से वरिष्ठ बनाया गया था और उन्हें उक्त आदेश के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.05.2018 (अनुलग्नक–8) के द्वारा वर्ष 2018–19 की रिक्ति के विरूद्ध अध्यापक ग्रेड–II, संस्कृत के पद पर पदोन्नति प्रदान

कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गणेशपुरा, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में पदस्थापन किया गया। जिसको अपीलार्थी ने दिनांक 05.06.2018 (अनुलग्नक–9) के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर पदोन्नति का परित्याग कर दिया। क्योंकि अपीलार्थी वहां अपने 85 वर्षीय माता–पिता की देखभाल हेतु वहां कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था। अपीलार्थी द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान प्रदान करने के लिए एसीपी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूंठडा, तहसील उनियारा जिला टोंक के प्रधानाचार्य द्वारा पत्र दिनांक 12.02.2019 (अनुलग्नक–10) के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, मुख्यालय, टोंक को भेजा गया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इस आधार पर कि अपीलार्थी ने पदोन्नति छोड़ दी है और जब तक वह पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता, उसे एसीपी का लाभ देय नहीं होगा (अनुलग्नक–11)। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/1997 के अनुसार प्रारम्भ में दिनांक 28.09.1997 एवं 07.10.1997 के द्वारा समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया था, किन्तु अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 16.01. 2001 को नियुक्त किया गया। विलम्बित नियुक्ति के कारण नहीं हुई है। इसलिए अपीलार्थी वरिष्ठता, निर्धारण और चयनित वेतनमान आदेश के संबंध में वर्ष 1997 में समान पद पर नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति तिथि से काल्पनिक लाभ पाने का हकदार है। इस संबंध में अपीलार्थी ने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 30.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस प्रस्तुक कर अनुरोध किया कि अपीलार्थी का चयन विलंब से दिनांक 16.01.2001 को हुआ । चयन में देरी अपीलार्थी के कारण नहीं हुई। अत; प्रत्यर्थी विभाग से अपेक्षा कि वे वरिष्टता, निर्धारण आदि का लाभ काल्पनिक आधार पर उसी समय से प्रदान करें जब से वर्ष 1997 में नियुक्त व्यक्तियों को ये लाभ प्रदान किए गए थे। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस देने के बावजूद इस संबंध में कोई कदम नही उठाया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वरिष्टता, निर्धारण आदि का लाभ काल्पनिक आधार पर उसी तिथि से प्रदान करें जब से वर्ष 1997 में नियुक्त व्यक्तियों को ये लाभ प्रदान किए गए थे एवं अपीलार्थी द्वारा सेवा में शामिल होने की तिथि से वास्तविक लाभ का भुगतान देय तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज सहित किया जाए तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक नोटिस पर निर्णय लिये जाने आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(पूनम दरगन)**
**सदस्य (न्यायिक)**